\

—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 55/2025

उनवान

लाडा पत्नी नानू जाति बैरवा निवासी ग्राम ढाल, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 9.12.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ढाल के खाता संख्या 515/516 किता 8 रकबा 2.86 की आराजी वादी की क्रयशुदा है। आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण संख्या 302 दिनांक 18.11.2010 से वादी के नाम अंकित किया गया। हाल राजस्व अभिलेख में वादी की जाति बैरवा के स्थान पर बलाई गलत दर्ज कर दी गयी। जबकि वादी का जाति विक्रय पत्र, आधार कार्ड में बैरवा ही है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी की जाति बलाई के स्थान पर बैरवा अंकित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र में वादी की जाति बेरवा ही अंकित है। भूमि खातेदारी होने के कारण राजहित प्रभावित नही होता है।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख व वादी के पहचान दस्तावेज पेश किये। व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम ढाल के खाता संख्या 515/516 किता 8 रकबा 2.86 की आराजी वादी की क्रयशुदा है। आराजी मुतनाजा वादी द्वारा दिनांक 28.04.2010 को जरियें पजीबद्ध विक्रय पत्र क्रय की थी। विक्रय पत्र में वादी की जाति बैरवा ही अंकित है। हाल राजस्व अभिलेख में वादी की जाति बैरवा के स्थान पर बलाई गलत दर्ज कर दी गयी। जबकि वादी का जाति विक्रय पत्र, राशन कार्ड में बैरवा ही है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी की जाति बलाई के स्थान पर बैरवा अंकित किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:39:50 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार ग्राम ढाल के खाता संख्या 515/516 किता 8 रकबा 2.86 की आराजी पर वादी का वाद"**स्वीकार**" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी की जाति बलाई के स्थान पर बेरवा अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:39:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लाडा बनाम सरकार

दावा बाबत :— 88, राज. का. अधि0 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 55/2025
पेश करने की दिनांक — 24.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम ढाल के खाता संख्या 515/516 किता 8 रकबा 2.86 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी की जाति बलाई के स्थान पर बेरवा अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 9 माह 12 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:39:50 IST
Reason: SelfAttested